



53

समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प जबलपुर

अपील 21-I-2015

रा.प्र.क्र.

सन्

अपीलार्थी
एस.श्रीमो
श्रीमो
10V 2014
श्रीमो
श्रीमो, जबलपुर संभाग

भोलाराम पटेल पिता स्व. श्री मुरलीलाल पटेल
निवासी- मकान नंबर 486, पुरानी बस्ती ग्वारीघाट,
जिला जबलपुर

बनाम

उत्तरवादीगण 1. मध्यप्रदेश शासन

द्वारा -

- अ- अपर जिलाध्यक्ष (प्रथम) जबलपुर
ब- अनुविभागीय वन अधिकारी
जबलपुर



29

श्रीमो

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. A-21-5/15..... जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के-हस्ताक्षर
20-1-15 जबलपुर कैम्प	<p>आवेदक अधिकृत श्री आर.एस.शर्मा तथा श्री एस.पी. तिवारी उप.। उन्हे ग्राह्यता पासना।</p> <p>2- उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के फ.क. 457/बी-121/13-14 में पारित आदेश दि. 25-9-14 को शल्यप्रतीति का अवलोकन किया गया जिससे व्यक्त होकर यह निष्कर्ष^{अपील} प्राप्त की गई है।</p> <p>3- अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वनसंरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 (b) में वन भूमि उसे मना जायेगा जो अकिलेरेन में वन की है चाहे उसका स्वामित्व किसी का भी हो। अतः अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्ष कि भूमि वन विभाग के स्वामित्व की है, को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की है। अतः यह निष्कर्ष^{अपील} उपमहृष्ट्या आधार हीन होने से शीघ्र पर आग्रह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सहाय</p>	